सरयू राय
मंत्री
संसदीय कार्य–सह
खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग
झारखण्ड सरकार

झारखण्ड सरकार

कार्यालय :-
झारखण्ड मंत्रालय
प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची
आवास : एफ॰टाईप, पी॰डब्लू॰डी॰ (IB)
डोरण्डा, राँची
मो॰ : 9431114486

पत्रांक 549/मंत्री का॰ | दिनांक 24-08-16

मुख्य सचिव,
झारखण्ड, रॉची।

भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग की अधिकारियों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन के संबंध में दिनांक 23.06.2016 को आपको प्रेषित मेरे पत्र का उत्तर सरकार के प्रधान सचिव, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, के पत्रांक–1/पी॰–103/2015 का॰ 6796 दिनांक 08.08.2016, द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है। पत्र के अनुसार "सेवा के पदाधिकारियों के स्थानांतरण/पदस्थापन पर विचार करने हेतु समिति के समक्ष वैसे मामलों को रखा जाता है, जो कार्यहित एवं प्रशासनिक हित में हो"। इस विषय में भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय की गजट अधिसूचना दिनांक 28 जनवरी 2014 की कंडिका 3 को हूबहू उद्धित कर रहा हूँ जो निम्नवत् है :–

कंडिका 3. प्रक्रिया :–

(क) "सिविल सेवा बोर्ड निर्धारित कार्यकाल से पहले किसी अधिकारी के स्थानांतरण हेतु सरकार के संबंधित प्रशासनिक विभाग से विस्तृत औचित्य प्राप्त करेगा।

(ख) सिविल सेवा बोर्ड –

(i) अन्य विश्वस्त स्रोतों से उसको प्राप्त अन्य निविष्टियों सहित प्रशासनिक विभाग की रिपोर्ट पर विचार करेगा।

email : saryuroy@gmail.com/info@saryuroy.in/वेबसाईट – www.saryuroy.in

(ii) बोर्ड के पास स्थानांतरित किए जाने हेतु प्रस्तावित अधिकारी से प्रस्ताव औचित्य के रूप में बोर्ड को प्रस्तुत की गई परिस्थितियों के संबंध में टिप्पणियां प्राप्त करेगा :

(iii) समयपूर्व स्थानांतरण के संबंध में कारणों से संतुष्ट हुए बिना इस प्रकार के स्थानांतरण की सिफारिश नहीं करेगा।

(ग) सिविल सेवा बोर्ड न्यूनतम निर्धारित कार्यकाल से पूर्व स्थानांतरण हेतु अनुशंसित अधिकारियों का स्पष्ट विवरण दर्शाते हुए उसके कारणों सहित उसके द्वारा उचित समझे जाने वाले प्रारूप में केन्द्र सरकार को एक तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा :

बशर्ते कि सक्षम पदाधिकारी लिखित आदेश के माध्यम से कारणों को रिकार्ड करते हुए सिविल सेवा बोर्ड की सिफारिशों को निरस्त कर सकता है।"

उपर्युक्त कंडिका (3), के प्रावधानों के अनुसार इस विषय में सिविल सेवा बोर्ड के समक्ष अपरिपक्व स्थानांतरण के लिए जो औचित्य बताया गया है, इससे अवगत करायें। प्रासंगिक अधिसूचना के अनुसार न केवल लातेहार और हजारीबाग बल्कि कतिपय अन्य स्थानों के उपायुक्तो का स्थानांतरण भी अपिरपक्व है।

एकीकृत बिहार के समय की यह परम्परा रही है कि बड़े जिलों में उपायुक्तों के पदस्थापन के समय वरीयता क्रम का विशेष ध्यान रखा जाता था, परन्तु प्रासंगिक स्थानांतरण/पदस्थापन में प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि इस परम्परा का ख्याल नहीं रखा गया है।

(सरयू राय)